

संविधान दिवस, 26 नवंबर 2021

हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार

संवैधानिक कर्तव्य

अ

अपने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना ज़रूरी है

आ

आज़ादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए

इ

इस देश की संस्कृति, विरासत और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है

ई

ईश्वर और धर्म के नाम पर हिंसा हमें कभी नहीं करनी चाहिए

उ

उचित समय पर अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए

ऊ

ऊर्जा, पर्यावरण और प्रकृति जैसे की जंगल, नदियाँ और जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है

ए

एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना हमें हमेशा बनाए रखनी चाहिए

ऐ

ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा देश तरक्की की नई ऊचाइयाँ छू सके

औ

औरतों और लड़कियों के आत्म-सम्मान की रक्षा सभी को करनी चाहिए

संविधान दिवस, 26 नवंबर 2021

हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार

संवैधानिक अधिकार

क कानून के सामने सब समान हैं	ख खरीदना या बेचना जिसमें मानव एक वस्तु हो जिसे मानव दुर्व्यपार भी कहते हैं, हमारे देश में सख्त मना है	ग गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण हमारा अधिकार है जबतक हमने कोई कानून न तोड़ा हो	च चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे से खतरनाक व्यवसाय और कारखानों में काम करवाना सख्त मना है
छ छुआ -छूत और भेद-भाव करना हमारे देश में मना है	ज जीने के लिए पौष्टिक खाना और रहने के लिए घर हम सबका अधिकार है	ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना मना है	न निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार है
प पिछड़ी जाति के लोगों को भी समानता यानि बराबरी का अधिकार है	ब बोलने की आज़ादी हम सबका अधिकार है	भ भारत में कहीं भी घूमने या रहने की सबको आज़ादी है	म मुझे अपने माता पिता एवं परिवार के साथ रहने का अधिकार है
व व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम सबका अधिकार है	श शोषण से बचाव हम सबका अधिकार है	स समानता यानि हम सब बराबर हैं	ह हमें अपनी बात कहने का और विचार रखने का अधिकार है